

कार्यालय-नगर परिषद,भमुआ

फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014,की धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति,नगर परिषद,भमुआ द्वारा पथ विक्रेता से संबंधित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने है।

क्र 0 स 0	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके
01	पंजीकरण	5. परिवार का फोटो 6. फुटपाथ विक्रेता का फोटो 7. आधार कार्ड की प्रतिलिपि 8. मोबाइल APP के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण	निशुल्क	7 दिन	सामुदायिक संगठक / नगर मिशन प्रबंधक	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद,भमुआ।
02	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करने हेतु	2. SULM बैबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबंधक	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद,भमुआ।
03	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	2- SULM बैबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबंधक	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद,भमुआ।
04	प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु	2. पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु 500/रु0	दो महीने के अंदर	नगर मिशन प्रबंधक	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद,भमुआ।
05	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र Duplicate निर्गत करने हेतु	2. नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज के आधार पर	50/रु0	7 दिन	नगर मिशन प्रबंधक	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद,भमुआ।

अध्यक्ष,

नगर विक्रय समिति
नगर परिषद,भमुआ।

Kan
16/12/2020

R.P. Singh
16/12/20

16/12/2020
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, भमुआ